

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/वृहत्तर पीठ/ /2024, दिनांक:- 04 जनवरी, 2024,

-:: आदेश ::-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन वृहत्तर पीठ से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर दिनांक 01-02-2024 एवं दिनांक 02-02-2024 को वृहत्तर पीठ का गठन किया जाता है।

उक्त गठित वृहत्तर पीठ में मेरे अतिरिक्त श्री राजीव रंजन, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, इलाहाबाद, श्री अजय विक्रम सिंह, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ, श्री विवेक कुमार, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 लखनऊ एवं श्री विजय कुमार मिश्रा, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0-04-01-2024,

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/ वृहत्तर पीठ/ 09 /2024, दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि :: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1-लखनऊ/ पीठ-2 लखनऊ/ पीठ-3, लखनऊ/
व पीठ-1 इलाहाबाद/।

2-मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर), मुख्यालय।

3-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।